कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/67/2025

श्री मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धीमर निवासी बयाना गेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर मो. नं. 8852866850

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी, भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 09.10.2025**

अपीलार्थी श्री मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धीमर निवासी बयाना गेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /2025/824 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक राजस्व/सू.का.अ./2025/675 दिनांक 01.10.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 01.10.2025 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में कथन किया है कि ''......... प्रार्थी द्वारा चाही गई वॉछित सूचना, नकल फैसला दिनांक 29.06.1991 जिसकी इजराय दिनांक 05.10.1993 को की गई है, उनवानी प्रकरण केदारलाल बनाम सेढू की सूचना चाही गई थी। वॉछित रिकार्ड वर्ष 1991–1993 का लगभग 32 वर्ष पुराना है रिकार्ड / पत्रावली कार्यालय में

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तलाश करायी जा रही है। रिकार्ड उपलब्ध होते ही सूचना आपको उपलब्ध करा दी जावेगी........'' उक्त सूचना से कार्यालय के पत्रांक पी.ए. / आरटीआई / 2025 / 438 दिनांक 16.07.2025 से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक राजस्व / सू.का.अ. / 2025 / 675 दिनांक 01.10.2025 में कथन किया है कि काफी तलाश के बाद उक्त रिकार्ड उपलब्ध नही हो पा रहा है। पत्रावली मिलते ही प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। इसकी सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक पी.ए. / आरटीआई / 2025 / 438 दिनांक 16.07.2025 से दिये जाने का उल्लेख भी किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को भेजे गये पत्र दिनांक 16.07.2025 की फोटो प्रति से जाहिर है कि प्रार्थी को सूचित किया गया है साथ ही रिकार्ड तलाश कराये जाने एवं रिकार्ड उपलब्ध होते ही सूचना उपलब्ध कराने का भी पत्र में उल्लेख किया हुआ है। यानि अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित कार्मिक का दायित्व निर्धारित करें तथा पत्रावली तलाश नोट जारी करावें। अपीलान्ट को चाही गई सूचना नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर को पालानार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर